

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 135/2016 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट

अनवान:

श्रीमति निर्मला देवी पुत्री श्रीमति कमला देवी, पति श्री दलीप कुमार जाति कुम्हार
निवासी 2/11 शंकर कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।
2. कमला देवी पुत्री श्री लेखराम जाति कुम्हार निवासी 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
3. जय कुमार पुत्र श्री चेताराम जाति कुम्हार निवासी 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर।
4. श्रीमति शकुन्तला देवी पुत्री श्री चेताराम जाति कुम्हार निवासी 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

7.1.21

आज यह पत्रावली श्रीमति निर्मला देवी जरिये अभिभाषक श्री सुरेश मोहता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में दोनो पक्षकारों का आपस में समझौता हो जाने के कारण अपीलांट अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहता है एवं अपील को विद्धो करना चाहता है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 11.05.2016 जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 467 दिनांक 24.03.2015 द्वारा नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश को बहाल रखा गया को निरस्त करने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धा करना चाहते हैं। अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स श्री ज्ञान सिंह बिश्नोई ने प्रार्थना पत्र अभिभाषक अपीलांट पर विद्धावल हेतु अपनी लिखित सहमति दी है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये विद्धावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश की प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
बीकानेर